थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अन्र्तजनपदीय मादक पदार्थ तस्करी गैंग का सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

शासन द्वारा मादक पदार्थो के विरुद्ध व गौकशी/नकबजनी के अभियुक्तों के विरुद्ध सत्यापन व कार्यवाही के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के निर्देश के क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ डॉ0 ओ0पी0 सिहं के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजय प्रताप के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बिसौली सुनील कुमार के नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज व थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अन्र्तजनपदीय मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्यों को 500 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है ।

घटनाक्रम- थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 08.09.2023 को उच्चाधिकारीगण एवं शासन की मंशा के अनुरूप मादक पदार्थ ब्रिकी एवं तस्करी व गौकशी व नकबजनी के अभियुक्त के विरुद्ध सत्यापन व कार्यवाही के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे सतत अभियान के क्रम मे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर सुरसैना लहरा लाडपुर मार्ग पर मजार के पास से एक व्यक्ति नूर मोहम्मद पुत्र शहजादे निवासी ग्राम लहरा लाडपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामद गांजे की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 10,000 (दस हजार) रूपये है । जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 434/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त पूर्व मे भी गौकशी, नकबजनी व गैंगस्टर एक्ट मे जेल जा चुका है । अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला कारागार भेजा गया ।

पूछताछ विवरण- दौराने पूछताछ गिरफ्तारअभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त ने बताया कि वह गांजा खरीदकर आंवला क्षेत्र मे घूम-घूम कर ढाबों आदि पर ट्रक ड्राईवरों को बेचता है । आज भी गाँजे को बेचने के लिये आंवला जा रहा था कि तभी आप लोगो ने गिरफ्तार कर लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नूर मोहम्मद पुत्र शहजादे निवासी ग्राम लहरा लाडपुर थाना वजीरगंज जिला बदायूँ ।

बरामदगी का विवरण- 500 ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 10 हजार रुपये)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 167/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
2. मु0अ0सं0 166/21 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
3. मु0अ0सं0 340/21 धारा 457/380/411 भादवि थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
4. मु0अ0सं0 341/22 धारा 3/25(1B) A ACT थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
5. मु0अ0सं0 327/22 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना वजीरगंज जिला बदायूँ
6. मु0अ0सं0 434/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक धनंन्जय कुमार पाण्डेय,
2. उ0नि0 राकेश सिह चौहान,
3. हे0कां0 609 पुष्पेन्द्र कुमार तथा
4. कां0 404 मौ0 सरताज थाना वजीरगंज जनपद बदायूं ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।